संख्या-838/2017/1145/22-2-2017-17(99)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 अक्टूबर, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र श्री प्रभुदयाल निवासी जनपद-कानपुर नगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/ (एम0 02.05.2017) दिनांक-22.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र श्री प्रभुदयाल जो दिलीपी निवादा, थाना-शिवराजपुर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। पूर्व में हुई पिता की हत्या का बदला लेने के लिये बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 20.11.1977 को सायं लगभग 05:00 बजे बन्दूक व तमन्चे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-49/78 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर के आदेश दिनांक 30.05.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.1994 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2017 तक 22 वर्ष 07 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष 10 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने अभिमत में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा दोषसिद्ध नहीं किये जाने के कारण उसकी समयपूर्व रिहाई हेतु किसी भी प्रकार का अभिमत उपलब्ध कराया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है लेकिन सलाहकार समिति में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा 01 व्यक्ति की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। अतः बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम प्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र श्री प्रभुदयाल को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामप्रकाश उर्फ प्रकाश (बन्दी संख्या-12388) पुत्र श्री प्रभुदयाल निवासी जनपद-कानपुर नगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-838/2017/1145/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in